## शिक्षा निद्धालय उप्रतर हिन्सि GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

ANNOUNCEMENT OF SCHOLARSHIP: 2021-22

(Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means)

Ministry of Minority Affairs (MoMA) provides an opportunity to the students belonging to six Minority communities notified by the Government of India (Jain, Buddhist, Sikh, Zoroastrian (Parsis), Muslim and Christian) for availing scholarships under three scholarship schemes viz. Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship for the year 2021-22. "The Department /Directorate of Higher Education, Government of Himachal Pradesh invites applications for above scholarships, given by the Ministry of Minority Affairs, Government of India for the above schemes".

Timeline	Last Date for submission of online applications for fresh scholarship (first time applicant) and Renewal scholarship (applicant who has got scholarship (2000 21) (2000 21) & College (2000 21) (200				
	scholarship during (2020-21) by students.  Scholarship during (2020-21) by 2. Merit-cum Means based Scholarship.  30 <sup>th</sup> November, 2021				
Eligibility	<ul> <li>The applicant should be the students of the notified minority communities (Jain, Buddhist, Sikh, Zoroastrain (Parsis), Muslim and Christian).</li> <li>The applicant should be pursuing studies in India in Government or recognized Private Universities/Institutes/ Colleges/Schools.</li> <li>The course being pursued should be of Minimum one year duration.</li> <li>The applicant should have secured 50% marks in the last annual Board/ Class examination.</li> </ul>				
Instructions	<ul> <li>For Applicants</li> <li>Applicants are advised to apply online against any one of the scholarship schemes on the website of National Scholarship Portal at – www.scholarships. gov.in (a link to the site is also available at –www.minorityaffairs.gov.in) or Mobile App- National Scholarships (NSP)</li> <li>Detailed 'Instructions' for filling in online application and 'Frequently Asked Questions (FAQs)' are available on the National Scholarship Portal homepage.</li> <li>Applicant is advised to give only that bank account details which remains in active mode or compliant as per bank's instructions so that payment of Scholarship does not fail.</li> <li>For Universities/Institutes/Colleges/Schools</li> <li>All Universities/Institutes/Colleges/Schools, where a minority students is studying, should get themselves registered (if not done earlier) on National Scholarship Portal.</li> </ul>				
For detailed information - Visit the website of Ministry of Minority Affairs, i.e. www.minorityaffairs.gov.in Samadhaan Helpline (Toll Free) - 1800-11-2001 (Timing 9:00 AM to 5:30 PM, Monday to Friday, except holidays)					

(Dr. Amarjeet K. Sharma) Director of Higher Education

	rimachai Pradesii, Shimia -1					
	dst. No.EDN-H(10)A(7)2/2009-Advertisements- Shimla, Dated: September, 2021 py forwarded to:					
1.	The Secretary (Edu.), to the Govt. HP Shimla-2 for information please.					
2.	The Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Minority Affairs, 11 <sup>th</sup> Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003 w.r.t. to Letter No. SS-15/4/2021-Scholarship-MoMA dated 25 <sup>th</sup> August, 2021 for information please.					
3.	aforesaid three scholarship schemes for minority students and promote the awareness for the minority students a well as Institution Registration on NSP portal.					
4.	The Director, All India Radio Centre, Shimla.					

5. The Director, Doordarshan Centre, Shimla.

6. The Editor, The Tribune, The Indian Express, The Times of India, Hindustan Times, Shimla.

7. The Director, Public Information and Public Relation Department, Himachal Pradesh, Shimla – 171002, for publication please.

The TO, IT Cell, DHE HP, with direction to upload the above Press Release on the Departmental website.

शिक्षा निदेशालय उच्यतर हिन्से

0 4 SEP 2021

(Dr. Amarjeet K. Sharma) Director of Higher Education Himachal Pradesh, Shimla-1

## भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

छात्रवृत्ति की घोषणा : 2021-22

## (मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष 2021–22 के लिए तीन छात्रवत्ति योजनाओं अर्थात मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छ: अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है। ''उच्चतर शिक्षा'' विभाग/निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार उपर्युक्त योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।''

	छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीकरण छात्रवृत्ति (वह	मैट्रिक–पूर्व छात्रवत्ति	15 नवम्बर, 2021			
समय–सीमा	आवेदक जिसने 2020–21 के दौरान	i. मैट्रिकोत्तर छात्रवत्ति एंव	30 नवम्बर, 2021			
	छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	ii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवत्ति				
	आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) व हो।					
पात्रता	• वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हों।					
	<ul> <li>अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अविध का हो।</li> </ul>					
	<ul> <li>आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड / कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों।</li> </ul>					
	आवेदकों के लिए					
	• आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट— www.scholarships.					
	gov.in (इस साइट का लिंक – www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है) या मोबाइल ऐप—					
	National Scholarships (NSP) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाईन आवेर करें।					
निर्देश	ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार—बार पूछे जाने वाले प्रष्न ( राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।					
	<ul> <li>आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सिक्य मोड में है या</li> </ul>					
	बैंक के निर्देषों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।					
	विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों के लिए					
	सभी विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों, को यह निर्देश दिए जाते है कि वह					
	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर संवय को पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें जहां पर अल्पसंख्यक					
Arr II	्रात्र-छात्रा पढ रह हा। कारी के लिए अलासंख्यक कार्य मंत्रात्या की वेद्याहर गणपा लांक्स्प्रार्थिक कार्य मा ज्यां।					
विस्तृत जानक	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वय को छात्र–छात्रां पढ रहे हो।	पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें र	जहां पर अल्पसंख्यव			

विस्तृत जानकारी के लिए **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की** वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जाएं। समाधान हेल्पलाईन (टोल फी) : 1800—11—2001 (समय सुबह 9:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छूट्टी का दिन छोड़कर)

(डॉo अमरजीत कुo शर्मा) शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001

पृष्ठांकन सं० ई.डी.एन —एच (10)ए7)2/2009—प्रैंस विज्ञप्ति प्रतिलिपियां : —

सितम्बर, 2021

1 सचिव, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार को जानकारी हेतु प्रेषित।

2 संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) केन्द्र सरकार, 11 फलोर, पण्डित दीनदयाल अन्तोदय भवन, सी.जी.ओ. कॉपलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली—110003, को पत्र संख्या SS-15/4/2021-Scholarship-MoMA दिनांक 25 अगस्त, 2021 के सन्दर्भ में जानकारी हेतु प्रेषित है।

3 सभी जिला उपायुक्त कार्यालय......को प्रार्थना सिंहत कि उपरोक्त तीन अल्पसंख्यक छात्रवृति योजनाओं की होर्डिंग लगाए एंव अल्पसंख्य द छात्र—छात्राओं को जागरुक करने के लिए बढावा दे, साथ ही साथ संस्थान स्वय को एन०एस०पी० पार्टल पर भी पंजिकृत करें।

4 निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, शिमला।

5 निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, शिमला।

6 सम्पादक, दैनिक भारकर, अमर उजाला, आपका फैसला, पंजाब केसरी समाचार, दैनिक जागरण, दिव्य हिमाचल, हिमाचल दस्तक समाचार पत्र, शिमला।

7 निदेशक, सूचना एंव जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश सरकार 171002 को जानकारी हेतु प्रेषित।

8 तिकनीकी अधिकारी, आई.टी. सैल को आदेश दिए जाते है कि, उक्त प्रैस विज्ञप्ति को विभाग की वैबसाईट पर उद्भारित करें।

िशिक्षा मिद्यालय क्रम्म १६ १६०५०

0 4 SEP 2021

(डॉ0 अमरजीत कु0 शर्मा) शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001